भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *57
दिनांक 06 फरवरी, 2024 / 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध

†*57. डॉ. डी. रविकुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की ‘भारत में अपराध’ रिपोर्ट 2022 में यथासूचित अनुसूचित जातियों (एसी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विरुद्ध उक्त अत्याचारों को दूर करने और रोकने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए हैं और पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जनजातीय महिलाओं के साथ बलात्कार और उन पर हमले के सूचित मामलों का कोई विशिष्ट उल्लेख है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) जनजातीय महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और उक्त अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई मजबूत रुप से करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ, विशेषकर दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कार्य करने के लिए कोई सहयोगात्मक प्रयास किए गए हैं, और समावेशी कार्यनीतियां अपनाई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध” के संबंध में दिनांक 06.02.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *57 के उत्तर में उल्लिखित विवरण “

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए अपराधों संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। वर्ष 2020 से 2022 के दौरान, अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के प्रति अत्याचार/अपराध के तहत दर्ज मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है।

जनता के बीच उनके बुनियादी मानवाधिकारों और सम्मान की रक्षा करने की दृष्टि से सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में जागरूकता में वृद्धि होने, पुलिस तक पहुंच और जवाबदेही में वृद्धि होने, पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण तथा वर्ष 2015 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (पीओए), 1989 के तहत नए अपराधों को शामिल करने आदि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों की बेहतर रिपोर्टिंग हुई है।

(ख) और (ङ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। तथापि, भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) पुलिस कार्मिकों को “अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989” के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अवगत कराने के लिए समय-समय पर उनके लिए प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और वेबिनार आयोजित करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने अत्याचार निवारण अधिनियम और नियमो के प्रावधानों के अक्षरशः कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, जो कि www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अत्याचार पीड़ितों को बेहतर न्याय प्रदान करने और उनके साथ हुए अन्याय का बेहतर निवारण करने हेतु इस अधिनियम को वर्ष 2015 में संशोधित किया गया है। इन संशोधनों में नए अपराध, विस्तृत अनुमान क्षेत्र और संस्थागत सुद्धीकरण शामिल हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के अनन्य विचारण हेतु मुख्य रूप से विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन तैयार करना, विशेष न्यायालयो और मुख्य रूप से विशेष कोर्ट को अपराधों का स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना आदि निहित है। इसके अलावा, पीओए अधिनियम की धारा 18 को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018” के माध्यम से संशोधित किया गया था तथा इसे दिनांक 20.08.2018 को लागू किया गया था। एफआईआर के पंजीकरण से पहले प्राथमिक जांच करना या अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले किसी प्राधिकारी की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों की जान-माल की रक्षा करने के लिए निवारक उपाय करने हेतु अत्याचार-ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने और ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में पर्याप्त संख्या में पुलिसिंग बुनियादी ढांचे से सुसज्जित पुलिस कर्मियों को तैनात करने की सलाह दी है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, "नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955" तथा "अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम 1989", के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है, जिसके तहत पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-2022 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के प्रति अपराध/अत्याचार के संबंध में महिलाओं के साथ "बलात्कार" और उनकी "शालीनता भंग करने के इरादे से हमले" के अपराध शीर्षों के तहत दर्ज हुए मामलों की संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

(घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 18.02.2016 और 01.02.2018 के पत्र के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा है कि वे वर्ष 2015 में संशोधित (2016 का 01) "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989" के प्रावधानों को अक्षरश: लागू करें। इस संबंध में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) से भी अनुरोध किया गया है कि वह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने दौरों के दौरान मामले की व्यापक तरीके से जांच करे और ऐसी सिफारिशें करे, जिनसे ऐसे अपराधों की रोकथाम हो सकेगी और साथ ही पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. यौन अपराधों के प्रभावकारी निवारण के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार के मामलों में 2 महीने के भीतर जांच पूरी किए जाने और आरोप पत्र दायर करने तथा विचारण को भी दो महीनों के अंदर पूरा करने का अधिदेश दिया गया है।

ii. "आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली" में सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्ट्रीय मान्य नम्बर (112) पर आधारित प्रणाली की व्यवस्था है, जिसके तहत कंप्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्थान पर पहुंचाया जाता है।

iii. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने के लिए प्रौद्यगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

iv. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए "महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम" के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है।

v. गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में जांच करने और यौन अपराधियों का पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) शुरू किया है।

vi. गृह मंत्रालय ने 19 फरवरी, 2019 को पुलिस के लिए "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल लॉन्च किया है, ताकि उनके लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करना और उसे ट्रैक करना सुविधाजनक बन सके।

vii. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की इकाइयों को सशक्त बनाने हेतु कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में डीएनए विश्लेषण की एक अत्याधुनिक इकाई स्थापित करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने कमी के विश्लेषण और मांग के मूल्यांकन के बाद राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और उन्नयन को भी मंजूरी प्रदान की है।

viii. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता के सृजन के लिए, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के भाग के तौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओरिएंटेशन किट के रूप में यौन हमला साक्ष्य संग्रहण की 18,020 किटें वितरित की हैं।

ix. गृह मंत्रालय ने देश के सभी जिलों के पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्कों और साथ ही मानव तस्करी-रोधी यूनिटों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए दो परियोजनाएं भी मंजूर की हैं।

x. उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

*****

लोक सभा तारांकित प्र. सं. *57 दिनांक 06.02.2024

अनुलग्नक-I

वर्ष 2020 से 2022 के दौरान, अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के प्रति अपराध के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		2020	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
1	आंध्र प्रदेश	1950	2014	2315	320	361	396
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0
3	असम	28	15	14	10	16	9
4	बिहार	7368	5842	6509	94	103	146
5	छत्तीसगढ़	316	330	323	502	506	516
6	गोवा	2	4	8	2	5	1
7	गुजरात	1326	1201	1279	291	341	330
8	हरियाणा	1210	1628	1633	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	251	244	210	3	7	4
10	झारखंड	666	546	674	347	250	283
11	कर्नाटक	1398	1673	1977	293	361	438
12	केरल	846	948	1050	130	133	172
13	मध्य प्रदेश	6899	7214	7733	2401	2627	2979
14	महाराष्ट्र	2569	2503	2743	663	628	742
15	मणिपुर	0	0	0	2	0	1
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	5	0	0	29
18	नागालैंड#	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	2046	2327	2902	624	676	773
20	पंजाब	165	200	162	4	0	0
21	राजस्थान	7017	7524	8752	1878	2121	2521
22	सिक्किम	0	2	3	0	1	4
23	तमिलनाडु	1274	1377	1761	23	39	67
24	तेलंगाना	1959	1772	1787	573	512	545
25	त्रिपुरा	2	3	2	2	0	3
26	उत्तर प्रदेश	12714	13146	15368	3	4	5
27	उत्तराखंड	87	123	114	13	6	1
28	पश्चिम बंगाल	109	108	104	90	92	90
	कुल (राज्य)	**50202**	**50744**	**57428**	**8268**	**8790**	**10055**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	2	3	3
30	चंडीगढ़	3	0	4	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1	0	0	0	3	5
32	दिल्ली	69	136	130	1	5	0
33	जम्मू और कश्मीर	7	13	11	0	1	1
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	1	0	0
36	पुदुचेरी	9	7	9	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**89**	**156**	**154**	**4**	**12**	**9**
	कुल (अखिल भारत)	**50291**	**50900**	**57582**	**8272**	**8802**	**10064**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

वर्ष 2022 के लिए नागालैंड से स्पष्टीकरण लंबित है।

लोक सभा तारांकित प्र. सं. *57 दिनांक 06.02.2024

अनुलग्नक-II

वर्ष 2020-2022 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के प्रति अपराध/अत्याचार के संबंध में महिलाओं के साथ “बलात्कार” और उनकी “शालीनता भंग करने के इरादे से हमले” के अपराध शीर्षों के तहत दर्ज मामलों की संख्या

वर्ष	**बलात्कार**	**महिलाओं की शालीनता भंग करने के इरादे से हमला**
2020	1137	885
2021	1324	881
2022	1347	1022

*****